राष्ट्र महिला

खंड 2 संख्या 198 जनवरी 2016 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शनि शिंगणापुर मंदिर के बारे में पैदा हुए उग्र विवाद से भारत के संविधान में वर्णित महिला–पुरूष बराबरी का मुद्दा एक बार फिर उठा है।

शनि मंदिर मे एक महिला के प्रवेश के बाद, महिलाओं को 'अपवित्र' होने का मुद्दा उठाया गया है। पुजारियों ने मूर्ति की मूल पवित्रता फिर से लाने के लिए उसे दूध से धोकर शुद्ध किया है,

अब महिलाऐं इस प्रथा का विरोध कर रही है और वे मंदिर के गर्भगृह में जहां सैकड़ों वर्षो से उनके आने पर रोक है प्रवेश के अधिकार की मांग कर रही हैं। यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि मूल अधिकारों से संबधित अनुच्छेद 25–28 में यह विशेष रूप से कहा गया है कि "किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के अधिकार पर अपना धर्म मानने अथवा उस पर आचरण करने के अधिकार से मनाही नही की जाएगी"। संयोग से उच्चतम न्यायलय भी यह प्रश्न कर रहा है कि क्यो महिलाओं को शताब्दियों से केरल के सबरीमाला मंदिर मे नहीं जाने दिया जा रहा है, इस मामले पर 8 फरवरी को सुनवाई होगी।

भूमाता ब्रिगेड नाम की एक महिला दल शनि मंदिर में महिला भक्तों के प्रवेश पर रोक के विरूद्ध अभियान चला रही है,

एक दिन के बाद जब पुलिस ने 400 महिला कार्यकर्त्ताओं का मंदिर मे घुसने का

चर्चा में मंदिरो में महिलाओं के प्रवेश पर रोक

प्रयास नाकाम किया था, भूमाता ब्रिगेड की नेता महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से मिली और उन्हे मांगो का ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया जिसमे महिला पक्षपात समाप्त करने और सभी धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को बाधारहित प्रवेश देने पर जोर दिया गया।

इसके उत्तर में मुख्य मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि "भारतीय परंपरा और हिंदु धर्म में महिलाओं को हमेशा पूजा करने की स्वतंत्रता मिलती आई है। हमारी संस्कृति कहती है कि बदलते समय के अनुसार परंपराओं और कर्मकाण्डो मे भी बदलाव लाया जाना चाहिए, हमारी संस्कृति मे पूजा करने में कोई भेदभाव नही है"।, परन्तु शनि शिंगणापुर और सबरीमाला मंदिर जैसी संस्थाएं इस बात पर जोर देती है कि वे शताब्दी पुरानी पारंपरिक प्रथाओं की रक्षा कर रहे है और हिंदु धार्मिक प्राधिकार के लिए नही बोल रहे हैं,

इस बात से इंकार नही किया जा सकता कि समय और युग के साथ परंपराओं को बदलना चाहिए, परपंराओं को जो हितकारी है, निश्चय ही बनाए रखा जाना चाहिए परन्तु उन परंपराओं को जो महिलाओं के लिए अहितकारी है तथा जिनसे समाज मे महिला–पुरूष असमानता पैदा होती है, त्याग दिया जाना चाहिए।

इस बीच मुख्य मंत्री ने मंदिर के प्राधिकारियों, कलक्टर, पुलिस और सामान्यतः सिविल सोसाइटी को बातचीत के द्वारा मुद्दे को सुलझाने के लिए कहा है, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करके सही रूख लिया है और यह आशा की जाती है कि जल्दी ही मंदिरों मे महिलाओं के प्रवेश पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी जाएगी।

महत्वपूर्ण निर्णय

- सरकार ने दो प्रमुख केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों– केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांन्सटेबल रैंक मे महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का अनुमोदन करके और सीमा बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत–तिब्बत सीमा पुलिस मे 15 प्रतिशत का कोटा भी लागू करके अर्द्ध सैनिक बलों मे महिला–पुरूष समानता मे सुधार करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इन बलों मे 9 लाख–कार्मिक है, जिनमें से इस समय अब केवल लगभग 20,000 महिलाएं है।
- उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि यदि किसी महिला की विवाह के सात वर्ष के अंदर अस्वाभविक मृत्यु होती है तो उसको उपहार में दी गई दहेज की वस्तुओं को उसके बच्चों को देना होगा अथवा उसके माँ–बाप को लौटाना होगा। सास–ससुर अथवा पति को उन वस्तुओं का ट्रस्टी माना जा सकता है। दहेज प्रतिबंध अधिनियम की धारा 6 को उद्कृत करते हुए बेंच ने आगे कहा कि उसके दहेज की वस्तुऐं महिला को विवाह के तीन महिनों के अंदर दे दी जानी चाहिए और निर्धारित समय पर चल और अचल सम्पति न लौटाए जाने पर पति अथवा सास–ससुर पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- केन्द्र ने महिलाओं और लड़कियों की तस्करी से संबंधित संगठित अपराधों को रोकने के लिए एक कार्य निर्धारित एजेंसी स्थापित करने का निर्णय किया है। जबकि केन्द्र को प्रस्ताव को क्रियांन्वित करने के संबंध में राज्यों से परामर्श करना होगा, एजेंसी को आरम्भ मे दिल्ली की एक लड़की के नृंशस सामूहिक बलात्कार के बाद केन्द्र द्वारा स्थापित निर्भय निधि से धन मिलेगा।

बधाइयां !

तमिलनाडु संवर्ग की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी अर्चना रामसुंदरम को सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, सशस्त्र सीमा बल पर नेपाल और भूटान के साथ लगी देश की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी है।। देश मे पांच अर्द्धसैनिक बल हैं–सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत–तिब्बत सीमा पुलिस– इनमे से किसी का भी प्रमुख महिला नही रही थी।

महिला–पुरूष बराबरी और महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षित करना

पर्यावरण शिक्षा केन्द्र द्वारा यूनेस्को, यू. एन.इ.पी., पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ सहयोग से जनवरी 2016 को अहमदाबाद मे ''सतत विकास लक्ष्यो के लिए वाहक के रूप में शिक्षा'' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र ''महिला–पुरूष बराबरी और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा'' की अध्यक्षता डा॰ पाम राजपूत, चेयरपर्सन, महिलाओं के दर्जे पर उच्च स्तरीय समिति, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अध्यक्षता की और वक्ताओं में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमार मंगलम, सुश्री मिराई चटर्जी (निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, एस.ई.डब्ल्यू. ए) और श्री रीनर मथार (ई.एस.डी के लिए समन्वय विशेषज्ञ, शिक्षा और प्रशिक्षण मंत्रालय, जर्मनी) शामिल थे। डा॰ राजपूत ने कहा कि चूंकि लक्ष्य 5 (महिला–पुरूष बराबरी की प्राप्ति और सभी महिलाओं और लड़कियो को सशक्त करना) की निर्धारित समय सीमा नही है, यह बेहतर होगा कि लक्ष्य 4 (सभी के लिए समावेशी और गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करना) पर ध्यान दिया जाए जो समयबद्ध है।

सम्मेलन मे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा (बाएं से दूसरी) सुश्री पाम राजपूत, श्री रीनर मथार, सुश्री मिराई चटर्जी

इस अवसर पर बोलती हुई, श्रीमती ललिता कुमारमंगलम ने आत्म–सम्मान बनाने के लिए, जो सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योकि साक्षरता ने इसे पैदा नही किया है, अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होने इस बात पर भी जोर दिया कि लड़को और पुरूषों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए।

पुरूष प्रधान प्रवृति के चलन के प्रश्न मे उत्तर मे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा मे इस तथ्य की ओर ध्यान देने का आवश्यकता पर जोर दिया कि कभी महिलाएं स्वयं पुरूष प्रधान प्रवृति की समर्थक थी।

बेंगलुरू सम्मेलन

आखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् के 14 वें राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें समूचे देश से 4500 अधिवक्ताओं ने भाग लिया था का उद्घाटन बेंगलुरू मे हुआ। सम्मेलन का विषय था, ''अपने संविधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना– भावी चुनौतियां''

श्रीमती ललिता कुमार मंगलम, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने ''महिलाओं को मुख्य धारा में लाना–कानून और न्यायपालिका की भूमिका'' पर मुख्य भाषण दिया। सुश्री निवेदिता भिड़े, उपाध्यक्ष, विवेकानन्द केन्द्र ने ''महिला–भावी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रवृति'' पर भाषण दिया और सुश्री प्रमिला निसरगी, सीनियर एडवोकेट, कर्नाटक उच्च न्यायलय ने ''महिलाएं और निर्णय लेना'' पर बोला। इस सभा की अध्यक्षा श्रीमती ज्योतिका कालरा, एडवोकेट, भारत का उच्चतम न्यायलय ने की जिन्होने यह कहकर इसकी समाप्ति की, कि यद्यपि संविधान को सावधानी पूर्वक लिखा गया था, यह तक जीवित दस्तावेज नही बन सकता जब तक लोग इसके प्रवर्तन के लिए निष्ठावान न बने।

श्रीमति ललिता कुमारमंगलम छठी (बाएं से) राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य के साथ

विधि प्रकोष्ठ से

राष्ट्रीय महिला आयोग ने ''वैवाहिक क्रूरता और धारा 498ए आई पी सी'' पर एक परामर्श सत्र का आयोजन किया। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायलय के एक हाल के निर्णय में कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(ए) मे उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना कोई तुरन्त गिरफ्तारी नही की जा सकती। आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई कि क्रियान्वित करने वाले प्राधिकारी अरनेश कुमार के मामले मे दिए गए निदेशों का दुरूपयोग कर रहे है। उपरोक्त उल्लिखित चिंता को देखते हुए आयोग ने परामर्श सभा का आयोजन किया। आयोग ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे उच्चतम न्यायलय ने स्वीकार कर दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग अब क्यूरेटिव पेटीशन दायर करने पर विचार कर रहा है।

परामर्श सभा के दौरान (बाएं से) सदस्या रेखा शर्मा, सदस्य आलोक रावत, अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम, न्यायधीश ज्ञान सुधा मिश्रा और सदस्या सचिव प्रीति मदान

परामर्श सत्र में विभिन्न संबंधित पक्ष शामिल हुए जिनमे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और सदस्याएं, सामाजिक कार्यकर्ता और विधि समुदाय के प्रमुख व्यक्ति भी थे। शिकायतकर्ताओं, जिन्होने वैवाहिक क्रूरता को सहा है, को इस मुद्दे पर नए विचार देने के लिए अपने अनुभव बताने हेतु आमंत्रित किया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए गए अध्ययन को भी इस अवसर पर रिलीज किया गया।

शिकायकर्ताओ का एक दृश्य

एडवोकेट कीर्ति सिंह के प्रस्तुतिकरण के बाद परामर्श सत्र आरम्भ हुआ और इसमें एडवोकेट गीता लूथरा, एडवोकेट ज्योतिका कालरा जैसे सीनियर एडवोकेट और स्वयंम् ए आई डी डब्ल्यू ए, हिम्मत और अन्य जैसे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, जिन्होने वैवाहिक क्रूरता से संबंधित मुद्दो पर विस्तृत रूप से कार्य किया था, उपस्थित हुए। दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त श्री राबिन हिबू और उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व जज़–न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा ने अमूल्य जानकारियॉ दी, परामर्श सत्र में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई जिन्हे कार्यवाही के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा।

लीक से हटकर कार्य

संगरूर में मतोई गांव से संदीप कौर जो एक दलित लड़की और कम्प्यूटर एप्लीकेशन मे डिप्लोमा धारक है ने 10 दलित लड़कियों के ग्रुप के साथ एक एकता क्लब बनाया। उन्होने दो महीने एक लंबा आंदोलन चलाया और मतोई के दलित परिवारो को जमीन के लिए मिलकर बोली लगाने की आवश्यकता के लिए आश्वस्त किया।

एक समस्या और थी। सरकार का बेस किराया 7,200 प्रति बीघा था जिसे आंदोलनकारी निर्धन दलितो के लिए बहुत अधिक समझते थे। वे चाहते थे कि इसे 3,200 रू प्रति बीघा किया जाए। ''हम दो लड़ाई लड़ रह थे–ऊँचा बेस किराया और प्राक्सी बोली, एक कार्यकर्त्ता ने कहा कि पिछले वर्ष हमारे विरोध के कारण नीलामी चार बार रद्द की गई। वास्तव मे लड़कियो ने पिछले वर्ष बोली के दौरान अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था, निलामी वाले दिन झड़पे हुई और अमीर किसान नकली उम्मीदवार का उपयोग करके जीतने में सफल रहे परन्तु इस वर्ष वे जीतेगें, अब उन्हे उच्च जाति के किसानों से पशुओं के चारे के लिए हाथ जोड़ने की आवश्यकता नही होगी। मतोई मे सभी दलितों के पशुओ को चारा खिलाने के लिए भूमि पर्याप्त है,

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा द्रुकपा कुंग फु ननों का अभिनन्दन किया जाना।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 250 द्रुकपा कुंग फु ननों का महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण चेतना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों से होते हुए काठमांडू से दिल्ली एक दुष्कर साइकिल यात्रा करने के लिए उनकी अपार हिम्मत, ताकत और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए अभिनन्दन किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग को जनवरी 2016 में प्राप्त शिकायते

माह	प्राप्त शिकायतें	उन शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	बंद
जनवरी 2016	1849	1701	378

राष्ट्रीय महिला आयोग ने जनवरी 2016 में 11 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया है।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्य सुषमा साहू पुलिस अधिकारियों के साथ गुजरात आधारित शिकायतों पर चर्चा करने के लिए गुजरात मे अहमदाबाद और पाटन गई। ● श्रीमती सुषमा साहू जिला विधि सेवा प्राधिकार के साथ अहमदाबाद के लोक अदालत मे उपस्थित हुई और शिकायतकर्त्ताओ से उनसे मामले का ब्यौरा जानने के लिए उनसे बातचीत की ताकि उनके मुद्दो को सौहार्दपूर्वक हल किया जा सके। बाद मे वह गुजरात महिला आयोग के कार्यालय गई और महिला संबंधित मुद्दो पर चर्चा की। ● सदस्य पाटन मे हेमचन्द्र आचार्या नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी मे यौन उत्पीड़न के विरूद्ध प्रायोजित और कमेटी द्वारा आयोजित ''यौन उत्पीडन और उपचार'' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार मे उपस्थित हुई। ● सदस्या भोपाल आधारित शिकायतों पर पुलिस प्रधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए भोपाल गई और भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल और उज्जैन के नारी निकेतन का भी अचानक दौरा किया जिससे बुनियादी ढ़ाचे रोगियो और संवासियों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच की जा सके। इसके बाद वह वह मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री श्री बाबू लाल गौड़ से मिली और महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर चर्चा की और उनसे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग गठित करने का अनुरोध किया। तब से एक आयोग गठित किया गया है और एक चेयरपर्सन नामांकित किया गया है। ● श्रीमती साहू महिलाओ से प्राप्त शिकायतो पर चर्चा करने के लिए जिला विधि सेवा प्राधिकारियों और पुलिस के साथ भोपाल मे एक लोक अदालत मे उपस्थित हुई। बाद मे वह राष्ट्रीय महिला आयोग मे दर्ज शिकायतो पर चर्चा करने के लिए पुलिस उप महानिदेशक से मिली। ● वह एन आई एम एच ए एन एस टीम के साथ बरहामपुर मेंटल अस्पताल के रोगियो, उनके परिवारो और अन्य सेवा प्रदाताओं का इंटरव्यू लेने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद गई, उन्होने वहां अस्पताल के ढ़ांचे और कार्यात्मक सुविधाओं की जांच की और अस्पताल के रिकार्ड को भी देखा। सदस्या ने महिलाओं से संबधित मुद्दो पर चर्चा करने के लिए पुलिस आयुक्त, कोलकता से भी मुलाकात की।

सदस्या सुषमा साहू यौन प्रताड़ना पर हुए सेमिनार मे दीप प्रज्वलित करती हुई

❖ सदस्या लालडिंगलियानी साइलो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में ''जेंडर चैलेनजेस'' पर बीना अग्रवाल के संग्रहों पर संग्रह पुस्तक के विमोचन पर उपस्थित हुई। इस संग्रह पुस्तक ने समूचे विश्व मे लाखों निर्धन महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर सृजित कर दिए है। ● श्रीमती रेखा शर्मा भारत के मानव अधिकार एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के एक सेमीनार मे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होने के लिए सिलवासा गई। उन्होने वहां लगभग 1200 लोगों को संबोधित किया। ● श्रीमती रेखा शर्मा गुरू तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा गई और मानव तस्करी की पीड़िता से मुलाकात की जो अब एच आई वी रोगी है, उसे 28 अक्टूबर 2015 को अस्पताल मे भर्ती कराया गया था, सदस्या लड़की की हाल–चाल के बारे मे जानने के लिए चिकित्सा अधीक्षक और अन्य संबंधित डाक्टरों से भी मिली। कुछ दिन बाद उन्होने सुनवाई के लिए गुरू तेग बहादुर के चिकित्सा अधीक्षक को बुलाया, ● सदस्या एक लम्बे समय से लंबित मामले पर एस एस पी से बात करने के लिए उत्तर प्रदेश मे शामली गई। वह डी एस पी और संबंधित इन्सपैक्टर से भी मिली और उनसे मामले को निपटाने को कहा, उन्होने पुलिस प्राधिकारियों को एक लेडी कान्स्टेबल के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने को कहा, जिसके विरूद्ध सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें आई थी। कान्स्टेबल को बाद मे सदस्या की सिफारिश पर निलंबित कर दिया गया, सदस्या देहरादून मे नारी निकेतन के एक संवासी से बलात्कार और गर्भपात के हाल के मामले और सुरक्षा कर्मियो द्वारा जनजाति महिलाओं से कथित बलात्कार की जांच करने के लिए जांच समितियों की अध्यक्षा के रूप मे क्रमशः उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ गई।

सदस्या रेखा शर्मा मानव अधिकार सेमिनार मे भाषण करती हुई।

❖ सदस्या सचिव प्रीति मदान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एन आई एम एच ए एन एस के साथ सहयोग से ''मनोरोग संस्थानों मे दाखिल महिलाओं की परेशानियों का समाधान करना'' पर आरम्भ किए गए शोध अध्ययन के बारे मे क्रमशः गोवा मे इन्सटिट्यूट आफ साइकियाट्री एंड हयूमन बिहेवियर और कोलकता मे पावलोव मेंटल अस्पताल गई।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा बेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड़, नई दिल्ली–5 द्वारा मुद्रित